



2026:AHC:50395-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 2026 की 3381

राज नाथ मिश्रा

.....याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ एवं 4 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: शिव कांत पांडेय

प्रतिवादी के अधिवक्ता: ए.एस.जी.आई., प्रमोद कुमार सिंह

मुख्य न्यायाधीश न्यायालय

माननीय अरुण भंसाली, मुख्य न्यायमूर्ति

माननीय क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति

1. यह रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई है, जिनकी आयु लगभग 81 वर्ष है। याचिका में कई राहतें मांगी गई हैं, तथापि, उन्होंने अपनी प्रार्थना को 'सशस्त्र बल न्यायाधिकरण', क्षेत्रीय पीठ, लखनऊ के समक्ष लंबित T.A. 1065 वर्ष 2010 के शीघ्र निस्तारण तक सीमित रखा है।
2. यह दलील दी गई है कि इस न्यायालय ने पूर्व में, रिट-ए संख्या 17517 वर्ष 2018 में, दिनांक 18.08.2018 को न्यायाधिकरण को आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से अधिमानतः चार महीने की अवधि के भीतर मामले का निर्णय करने का निर्देश दिया था। हालांकि, आदेश पारित होने के लगभग 8 वर्ष बीत जाने के बावजूद मामला लंबित है और शीघ्र निस्तारण की मांग करने वाले आवेदन को भी खारिज कर दिया गया है, जिसमें मामले को नियत क्रम में लेने की बात कही गई है, जो न्यायोचित नहीं है।
3. आगे यह दलील दी गई है कि प्रतिवादियों के अधिवक्ता भी मामले में सहयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब उक्त अधिवक्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होते हैं, तो अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



न्यायाधिकरण भौतिक सुनवाई के लिए जोर देता है। न्यायाधिकरण का यह आग्रह **सर्वेश माथुर बनाम रजिस्ट्रार जनरल, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय : 2023 INSC 891** में प्रतिपादित कानून के विपरीत है। प्रार्थना की गई है कि न्यायाधिकरण को अत्यंत शीघ्रता के साथ मामले की सुनवाई और निर्णय करने का निर्देश दिया जाए।

4. प्रतिवादियों के अधिवक्ता को न्यायाधिकरण द्वारा मामले के शीघ्र निस्तारण की प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं है और यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी/प्रतिवादियों के अधिवक्ता मामले के उचित निस्तारण में सहयोग करेंगे।
5. मामले की समग्र परिस्थितियों में, जहाँ मूल रिट याचिका वर्ष 1994 में दायर की गई थी और मामला वर्ष 2010 में न्यायाधिकरण को स्थानांतरित किया गया था तथा याचिकाकर्ता की आयु 81 वर्ष है, यह मामला न्यायाधिकरण द्वारा अत्यंत त्वरित निस्तारण की अपेक्षा रखता है।
6. वर्ष 2018 में इस न्यायालय द्वारा मामले को चार महीने के भीतर तय करने के निर्देशों के बावजूद, न्यायाधिकरण द्वारा शीघ्र निस्तारण के आवेदन को खारिज करने के कारणों को समझा या स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
7. जो भी हो, याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका निस्तारित की जाती है। न्यायाधिकरण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अत्यंत शीघ्रता के साथ मामले की सुनवाई और निर्णय करे और यदि आवश्यक हो, तो मामले की **दिन-प्रतिदिन** सुनवाई करे।
8. यह सूचित किया गया है कि न्यायाधिकरण के समक्ष अगली तिथि 18.03.2026 निर्धारित है।
9. उस तिथि पर, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के साथ-साथ प्रतिवादियों के अधिवक्ता अनिवार्य रूप से न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित रहेंगे और इस आदेश की प्रति प्रस्तुत करने पर, न्यायाधिकरण से अनुरोध है कि वह जैसा कि ऊपर अपेक्षित है, मामले की सुनवाई शुरू करे।

(क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12 मार्च, 2026

ए. एच. ए. / ज्योत्सना

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।